महत्वपूर्ण / आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाषः 0135–2666778, 2666779 ईमेलः uicddn@gmail.com

संख्याः 5152 / उ.सू.आ. / 2012 दिनांकः 02 / 04 / 2012

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा 17 मैनुअल तैयार कर लिये गये हैं. उक्त तैयार मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने के लोक प्राधिकारियों का दायित्व भी अधिनियम की इसी धारा 4(1)(ख);गअपपद्ध के अंतर्गत है. इसी क्रम में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की मानीटरिंग तथा रिपोर्टिंग की धारा 25(5) के प्राविधानों के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण की कार्यवाही माह अप्रैल से जून 2012 के मध्य पूर्ण की जाये.

2. अतः उपरोक्त के क्रम में आपके एवं आपके अधीनस्थ लोक प्राधिकारी इकाईयों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों को **30 जून 2012** तक के विवरणों सहित अद्यावधिक करने की कार्यवाही अपेक्षित है. आयोग द्वारा प्रस्तावित इस अद्यावधिकरण कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक स्तर पर भी की जायेगी. इस कार्य को शासन स्तर पर संबंधित प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा; मण्डल स्तर पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा; विभागाध्यक्ष स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा; तथा जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिमाह करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई द्वारा अधिनियम के प्राविधानानुसार मैनुअल तैयार कर लिये गये हैं तथा उनके विवरणों को 30 जून 2012 तक की अवधि तक अद्यावधिक कर लिया गया है.

3. कृपया उपरोक्तानुसार अद्यावधिक किये गये मैनुअलों की हॉर्ड एवं सॉफ्ट प्रतियां आयोग को **विलम्बतम 15 जुलाई 2012 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें. इसके अतिरिक्त संलग्न प्रारूप के अनुसार अपने विभाग से संबंधित जानकारियों को भी पूर्ण कर अद्यावधिक सूचना उक्त तिथि तक आयोग को उपलब्ध कराया जाये.

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी लोक प्राधिकारियों को उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

संलग्न : यथोपरि

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअलों की समीक्षा (वर्ष 2011 – 12)

लोक प्राधिकारी का नाम : ––––––––––––––––––––––––––––

1. निर्धारित मैनुअल किस वर्ष तैयार किये गये तथा उन्हें वर्षवार किन – किन तिथियों में अद्यावधिक / अपडेट किया गया ?

2. तैयार मैनुअलों को वैबसाईट में कब अपलोड किया गया तथा अपलोड किये गये मैनुअल किस तिथि तक अद्यावधि हैं ?

3. लोक प्राधिकारी के किस अधीनस्थ स्तर तक तैयार मैनुअलों की प्रतियां जन सामान्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं ? सभी स्तरों का पूर्ण विवरण दें.

4. क्या तैयार मैनअुल संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों में जन सामान्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं ? सभी का पूर्ण विवरण दें.

5. तैयार मैनुअलों को जनसामान्य द्वारा विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से उपयोग / प्राप्त किया जा सकता है ? सभी स्तरों का पूर्ण विवरण दें.